

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 695/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री के.एस. लोहा।

:: आदेश ::

05.12.2018

नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

अभिलेख तलब किया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—